भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4323
दिनांक 19.08.2025 को उत्तरार्थ

राजस्थान की ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय सहायता

4323. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मानती है कि झुंझुनू जैसे ग्रामीण एवं सैन्य पृष्ठभूमि वाले जिलों मे ग्राम पंचायतों को केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत अपेक्षित वित्तीय एवं प्रशासनिक सहायता नहीं मिल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झुंझुनू सहित राजस्थान की कई पंचायतों में'ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)'समय पर तैयार नहीं की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में संज्ञान लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस.पी.सिंह बघेल)

(क) और (ख) सरकार सभी जिलों में ग्राम पंचायतों के विकास के महत्व को समझती है, जिनमें ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्र (रक्षा पृष्ठभूमि वाले) शामिल हैं, जहाँ विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध है, जिनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ प्रमुख हैं। यद्यपि 'पंचायत' राज्य का विषय है, पंचायती राज मंत्रालय, ग्राम पंचायतों में अवसंरचना विकास और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सुगम बनाने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता और संपूरण कर रहा है।पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग (अब 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत) से अनुदान भी मिलता है। वित्त आयोग की अनुदान राशि संबंधित राज्य सरकारों को जारी की जाती है, जो तत्पश्चात नवीनतम राज्य वित्त आयोग (SFC) की स्वीकृत सिफ़ारिशों के अनुसार इन निधियों का पंचायतों के बीच वितरण करती हैं।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय (MoHA) की सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) और जीवंत ग्राम कार्यक्रम (VVP) की पहल के अंतर्गत वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, साथ ही अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण विकास को उचित महत्व दिया गया है। हालाँकि, गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार राजस्थान का झुंझुनू ज़िला बीएडीपी और वीवीपी कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल नहीं है।

(ग) और(घ) पंचायत विकास योजना (पीडीपी) एक वार्षिक सहभागी गतिविधि है जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय से नियोजन दिशानिर्देशों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और निगरानी के माध्यम से सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पंचायत स्तर पर सहभागी और समय पर योजना तैयार करने के लिए 2 अक्टूबर, 2024 को राष्ट्रव्यापी वार्षिक विषयगत पीडीपी अभियान शुरू किया गया था।

स्थानीय शासन निर्देशिका (Local Government Directory) के अनुसार राजस्थान में कुल 11,201 ग्राम पंचायतें हैं और दिनांक 13.08.2025 तक इनमें से 11,162 ग्राम पंचायतों (लगभग 100%) ने अपने ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (GPDPs) तैयार कर ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दी हैं। झुंझुनू ज़िले की 332 ग्राम पंचायतों में से 329 ग्राम पंचायतों (लगभग 100%) ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँअपलोड कर दी हैं।
